

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- सं.3(4)(१)च.श्रे.कर्म./विविध/अभि/2018/ ५४२०-३४

दिनांक २०-४-१८

- आदेश -

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी.नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6
1.	श्री शंकर लाल	01.3.1955	राज.राज्य अभिलेखागार, अलवर	अलवर	द्वितीय बार
2.	श्री छोटू सिंह	04.03.1955	शिक्षा विभाग, अजमेर	अजमेर	द्वितीय बार
3.	श्री सत्यनारायण एरन	26.10.1954	शिक्षा विभाग, अजमेर	अजमेर	द्वितीय बार
4.	श्री रामेश्वर लाल रेगर	10.9.1955	सनिअ, चित्तोडगढ़	चित्तोडगढ़	द्वितीय बार
5.	श्री बेचर कोटेड	06.7.1954	तहसीलदार, डूँगरपुर	डूँगरपुर	द्वितीय बार
6.	श्री नसीब खां	31.1.1955	सनिअ करौली	करौली	द्वितीय बार
7.	श्री उमराव सिंह	03.4.1956	सनिअ कोटा	कोटा	द्वितीय बार
8.	श्री कन्हैया लाल जोशी	11.7.1956	सनिअ नागौर	नागौर	द्वितीय बार
9.	श्री शीशपाल सिंह	05.8.1953	अति.सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिज. नागौर	नागौर	द्वितीय बार
10.	श्री भोपाल सिंह परमार	05.7.1956	शिक्षा विभाग, सिरोही	सिरोही	द्वितीय बार
11.	श्री गोपीलाल छीपा	01.7.1956	सनिअ, जालौर	जालौर	द्वितीय बार
12.	श्री लाल सिंह	12.4.1956	सनिअ, जोधपुर	जोधपुर	द्वितीय बार


1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या RAJ-E 00035/गृह-10/ दिनांक 13.04.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपरिथित की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन—
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर